अध्याय 9

कुटुंब पेंशन (दस्तावेज प्रस्तुत करना) संदाय नियम, 2021

नई दिल्ली, 11 मई, 2022

सा.का.नि. 349(अ).— निम्नलिखित नियम, जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (ङङ) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात् बनाए गए हैं तथा राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट की गयी है, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा यथा अपेक्षित सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

कुटुंब पेंशन (दस्तावेज प्रस्तुत करना) संदाय नियम, 2021

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **कुटुंब पेंशन (दस्तावेज प्रस्तुत करना) संदाय नियम, 2021** है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) अभिप्रेत है;

(ख) "कुटुंब पेंशन" से अधिनियम के अंतर्गत मृतक सदस्य अथवा पूर्व संसद सदस्य के पति या पत्नी या उसके आश्रितों को संदेय राशि, यदि दावा की गई है, अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(घ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ क्रमश: अधिनियम में दिए गए अर्थ के अनुरूप होगा।

3. वर्तमान सदस्यों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करना— (1) वर्तमान संसद सदस्य संबंधित सदनों में अपना स्थान ग्रहण करने के तुरंत बाद उनके द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेजों को 8कग की उप-धारा (1) के उपबंधो के अनुसार प्रस्तुत करेंगे ताकि कुटुंब पेंशन के मामले में, जब कभी आवेदन किया जाए, प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सक -

(क) इन नियमों में उपबंध क के अनुसार, यथास्थिति, पति या पत्नी अथवा आश्रितों के चार फोटोग्राफ और चार नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान;

(ख) कुटुंब के सदस्यों का विवरण, इन नियमों से उपबंध ख के अनुसार संलग्न प्रोफार्मा में दिए जाएँ।

(2) संसद सदस्य उप-नियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति की परिस्थिति में किसी परिवर्तन के बारे में, शीघ्र ही लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय को सूचित करेंगे।

4. भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करना— (1) भूतपूर्व संसद सदस्य पेंशन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय, पति या पत्नी अथवा आश्रित के इन नियमों के, जो कुटुंब पेंशन के लिए पात्र है, जब कभी भी आवेदन किया जाये, धारा 8 क ग का उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार स्वयं भूतपूर्व संसद सदस्य द्वारा सम्यक रूप में अनुप्रमाणित चार फोटोग्राफ और चार नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान सहित इन नियमों से उपबंध ख के अनुसार संलग्म प्रोफार्मा में कुटुंब के सदस्यों और अश्रितों के ब्योरे प्रस्तुत करें।

(2) पेंशन के लिए आवेदन उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार चार फोटोग्राफ और चार नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र क में प्रस्तुत करेंगे।

(3) भूतपूर्व संसद सदस्य उप-नियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की परिस्थिति में किसी परिवर्तन के बारे में, शीघ्र ही लोक सभा सचिवालय या राज्य सभा सचिवालय को सूचित करेंगे।

5. **संसद सदस्य के पति या पत्नी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करना—** (1) संसद सदस्य के पति या पत्नी, कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन करते समय उस क्षेत्र के नगरपालिका प्राधिकारी या स्थानीय पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के अतिरिक्त निम्नलिखित भी प्रस्तुत करेंगे -

(क) लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय द्वारा जारी भूतपूर्व संसद सदस्य का पहचान पत्र (मूल) और यदि मूल पहचान पत्र खो जाता है या नहीं मिलता है या पता नहीं चलता है, तो दावेदार द्वारा भूतपूर्व संसद सदस्य के पहचान पत्र के खो जाने के संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) वर्तमान संसद सदस्य या भूतपूर्व संसद सदस्य पर निर्भरता के कारणों को दर्शाने वाला शपथ पत्र;

(ग) प्रथम या द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप में प्रमाणित क्षतिपूर्ति बांड; तथा

(घ) विवाह प्रमाण पत्र और यदि वह उपलब्ध नहीं है तो नियम 3 का उपनियम (1) खंड (ख) या नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन यथा अपेक्षित वर्तमान संसद सदस्य या भूतपूर्व संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत जानकारी में कोई अंतर की दशा में प्रथम या द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र ख में प्रस्तुत करेंगे।

6. **सदस्य के आश्रितों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करना —** (1) आश्रित, कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन करते समय उस क्षेत्र के नगरपालिका प्राधिकारी या स्थानीय पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के अतिरिक्त निम्नलिखित भी प्रस्तुत करेगा -

(क) प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक का शपथ पत्र कि वह अभी भी एक आश्रित है जिसके विफल रहने पर, उनकी कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी या रोक दी जाएगी;

(ख) प्रथम या द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र;

(ग) लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय द्वारा जारी भूतपूर्व संसद सदस्यों का पहचान पत्र (मूल) और यदि मूल पहचान पत्र खो जाता है या नहीं मिलता है या पता नहीं चलता है, तो दावेदार द्वारा भूतपूर्व संसद सदस्य के पहचान पत्र के खो जाने के संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा; तथा

(घ) प्रथम/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप में प्रमाणित क्षतिपूर्ति बांड।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र बी में प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुलग्नक क

[नियम 3 (1)(ए)]

पति या पत्नी या आश्रितों के नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

1. नाम..

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर
....

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

अंगूठे का निशान

फोटो

संसद सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित
----

2. नाम..

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर
....

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

अंगूठे का निशान

फोटो

संसद सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित
----

3. नाम..

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर
....

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

अंगूठे का निशान

फोटो

संसद सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित
----

4. नाम..

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर
....

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

अंगूठे का निशान

फोटो

संसद सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित --

अनुलगन्क ख
[नियम 3 (1)(बी) और 4(1)]

कुटुंब के सदस्यों का विवरण
(दो प्रतियों में भरा जाना है)

मैं, श्रीमती/श्री/डॉ. ...., राज्य सभा/लोक सभा के सदस्य/पूर्व सदस्य एतद्वारा मेरे पति/पत्नी/आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण प्रस्तुत करते हैं जो मेरी मृत्यु की स्थिति में संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के संदर्भ में संसदीय कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं:

क्र.सं.	कुटुंब के सदस्यों का नाम और पूरा पता	सदस्यों के साथ संबंध	जन्म की तारीख	क्या शारीरिक रूप से विकलांग*
01.				
02.				
03.				

*यदि कुटुंब का आश्रित सदस्य विकलांग/अशक्त है तो उपयुक्त चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

इस पर हस्ताक्षर 20....... (वर्ष) के .... (माह) के .... (दिन) किए।

सदस्य/पूर्व सदस्य के हस्ताक्षर
सदस्य/पूर्व सदस्य का नाम.......................................
पता...
....
....
...............पिन........................
फोन/मोबाइल.......................................
ईमेल आईडी.......................................

नोट: उपरोक्त सभी जानकारी अनिवार्य है।

प्रपत्र क
[नियम 4(2) देखें]

पेंशन के लिए आवेदन

(देखें संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 8ए यथासंशोधित)
(पूर्व संसद सदस्य द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)

प्रेषक

डॉ./श्रीमती/श्री/कुमारी...

लोक सभा/राज्य सभा/अनंतिम संसद के पूर्व सदस्य
(यहां पिछली बार सेवित सभा का उल्लेख करें)

....

प्रति

महासचिव,
राज्य सभा/लोक सभा,
संसद भवन,
नई दिल्ली।

विषय: संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 यथा संशोधित, के तहत पेंशन की मंजूरी।

महोदय,

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8क के अनुसार, मैं निम्नलिखित अवधियों के संबंध में पेंशन का हकदार हूं, जो मेरे द्वारा .... के सदस्य के रूप में पूरी की गई हैं।

(i) संविधान की शुरुआत से ठीक पहले भारत के डोमिनियन की संविधान सभा के रूप में कार्य करने वाले निकाय की अनंतिम संसद के सदस्य सदस्यता सहित।
(ii) राज्यों की परिषद (राज्य सभा) के सदस्य
(iii) लोक सभा के सदस्य (लोक सभा)

2. अनुरोध है कि कृपया मुझे पेंशन स्वीकृत करने के लिए कदम उठाए जाएं। मैं अपनी पेंशन.. बैंक (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम)..शाखा पर ....(बैंक का पता) और मेरा बैंक खाता संख्या .... है .... (बैंक का बीएसआर कोड)...(आईएफएससी कोड) से आहरित करना चाहता हूँ।

3. मैं इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को एक प्रथम/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित वर्ग-I अधिकारी/संसद के एक मौजूदा सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर संलग्न करता हूँ:

(i) चार नमूना हस्ताक्षर
(ii) चार पासपोर्ट आकार में नवीनतम फोटोग्राफ (फोटोग्राफ के सामने की ओर अनुप्रमाणन)।

3क. मैं इसके साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा विधिवत सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न करता हूँ:-

निर्धारित प्रोफार्मा में के सदस्यों/आश्रितों का विवरण, चार तस्वीरें और चार नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, पति या पत्नी या आश्रित (संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 2 (कक) के अनुसार) के रूप में मामला हो सकता है, जो एमएसए अधिनियम, 1954 की धारा 8कग (2) के प्रावधानों के अनुसार कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो सकता है, यदि आवेदन किया जाता है।

4. मेरा वर्तमान पता

....
....
....
....
....
....

फोन..................................

मोबाइल....................................ईमेल आईडी.......................................

मेरा स्थायी पता

....
....
....
....
....
....

5. मैं एतद्वारा #घोषणा करता हूं:-

(i) मैं राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल या किसी भी राज्य क्षेत्र के प्रशासक के निर्वाचित कार्यालय को नहीं संभाल रहा हूं;

(ii) मैं राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की किसी विधान सभा या किसी राज्य की किसी विधान परिषद का सदस्य नहीं हूं;

(iii) मैं केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम के तहत वेतन पर कार्यरत नहीं हूं या मैं ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकरण से किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं हूं;

(iv) मैं .... का पद धारण कर रहा हूं ....या...................................... ..... के सदस्य या .... के रूप में कार्यरत हैं.......................................या में............................... और मेरे द्वारा प्राप्त कुल पारिश्रमिक रू.............................. प्रति माह है।

(v) मैं .... का पद धारण कर रहा था या...................................का सदस्य था या ....के रूप में कार्यरत था ....में .... और मेरे द्वारा प्राप्त कुल पारिश्रमिक रु.......................... प्रति माह था दिनांक ....से ....तक (यदि कार्यकाल की समाप्ति और पेंशन के लिए आवेदन जमा करने के बीच अंतर है तो भरा जाना है)

(vi) पति/पत्नी/आश्रित की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के मामले में, मैं तुरंत लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को सूचित करूंगा।

जो घोषणाएं लागू न हों उन्हें स्याही से काट दिया जाए।

भवदीय,

. . . .
पूर्व सांसद के हस्ताक्षर

नाम बड़ा अक्षर में:
. . . .

स्थान: . . . .
दिनांक: . . . .

लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय में उपयोग के लिए

एमएसए शाखा, लोक सभा सचिवालय
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय

अवर सचिव (टेबल ऑफिस), लोक सभा सचिवालय/अवर सचिव (टेबल ऑफिस), राज्य सभा सचिवालय, को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया।

अवर सचिव

टेबल ऑफिस, लोक सभा सचिवालय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ. .... ने निम्नलिखित अवधि के दौरान लोक सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया:

.... से....................तक
.... से....................तक
.... से....................तक
.... से....................तक

अवर सचिव, लोक सभा सचिवालय

टेबल ऑफिस, राज्य सभा सचिवालय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ...................................ने निम्नलिखित अवधि के दौरान राज्य सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया:

.... से....................तक
.... से....................तक
.... से....................तक
.... से....................तक

अवर सचिव, राज्य सभा सचिवालय

एमएसए शाखा, लोक सभा सचिवालय
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय

एमएसए शाखा, लोक सभा सचिवालय
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय

पीएफ सं.....................................
दिनांक.......................

श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ. ....
इस तिथि से ....
पेंशन ....
(रुपये...केवल) प्रति माह के लिए स्वीकृत है।

आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी, लोक सभा/राज्य सभा को अग्रेषित किया गया।

हस्ताक्षर.................................
स्वीकृति प्राधिकरण.............................
पद...................................

नमूना हस्ताक्षर

(1) नाम ....पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोक सभा

हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(2) नाम ....पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोक सभा

हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(3) नाम ....पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोक सभा

हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(4) नाम ....पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोक सभा

हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय में पेंशन के पुनरीक्षण के प्रयोजन से भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा भरा जाने वाला आवेदन)

प्रेषक ....
....
....
(भूतपूर्व संसद सदस्य का नाम और पता)
संपर्क सं. (मोबाइल सं) और ईमेल
आईडी:..

प्रति,

उप सचिव (एमएसए),
लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय,
संसद भवन अनुबंध,
नई दिल्ली-110001

विषयः पेंशन में संशोधन।

सर/मैडम,

मैं राज्य सभा/लोक सभा का सदस्य था जो .... निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था और राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय से .... के माध्यम से पूर्व-सांसद पेंशन स्वीकृत किया गया था .... (बैंक का नाम और पता)................................(बैंक का बीएसआर कोड) ....(आईएफएससी कोड) और मेरा आधार नंबर.. है और पैन ....(प्रतियां संलग्न) है।

मेरी पेंशन को अब संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 में किए गए नवीनतम संशोधन के अनुसार संशोधित किया जाए।

भवदीय,

(..............................)
पूर्व सांसद का नाम और हस्ताक्षर

दिनांकः.......................................
स्थानः ....

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि:

(i) मैं राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त नहीं हुआ हूं; या
(ii) मैं दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के तहत गठित लोक सभा (लोक सभा) या राज्यों की परिषद (राज्य सभा), किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद या दिल्ली की महानगर परिषद का सदस्य नहीं हूं; या

(iii) मैं केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी निगम के तहत वेतन पर कार्यरत नहीं हूं या मैं ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकारी से किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं हूं; या

(iv) मुझे केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी स्थानीय प्राधिकरण/निगम से कोई पेंशन नहीं मिल रही है;

(v) जैसा कि क्रमांक में उल्लेख किया गया है, मैंने कोई कार्यालय नहीं संभाला है। संख्या (i) से (iii) ऊपर, चूंकि मेरी पेंशन पिछली बार संशोधित/स्वीकृत की गई थी

या

(ए) मैं .... के सदस्य का पद धारण कर रहा/रही हूँ/या ....के रूप में कार्यरत हैं। और मेरे द्वारा प्राप्त कुल वेतन/पारिश्रमिक रु.............................. प्रति माह है।

(बी) मुझे प्रति माह पूर्व सांसद पेंशन/पारिवारिक पेंशन/.................................से पेंशन आहरण के रूप में ....रूपये की प्राप्ति हो रही है।

( )
पेंशनभोगी के हस्ताक्षर
नाम (बड़े अक्षर में)............................
पता...
....

स्थान...
दिनांक...

----

* यहां केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम के कार्यालय के नाम का उल्लेख करें।

[नियम 3(1)(ए)]

पति या पत्नी या आश्रितों के नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

1. नाम..

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर
....

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

अंगूठे का निशान

सांसद/पूर्व सांसद द्वारा अनुप्रमाणित

फोटो

2. नाम..

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर
....

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

अंगूठे का निशान

सांसद/पूर्व सांसद द्वारा अनुप्रमाणित

फोटो

3. नाम..

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर
....

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

अंगूठे का निशान

सांसद/पूर्व सांसद द्वारा अनुप्रमाणित

फोटो

4. नाम..

पति या पत्नी या आश्रित के हस्ताक्षर

....

(जो लागू हो उस पर टिक करें)

अंगूठे का निशान

फोटो

सांसद/पूर्व सांसद द्वारा अनुप्रमाणित

प्रपत्र ख
(नियम 5(2) और 6(2) देखें)

लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय

कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन

(संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 यथासंशोधित की धारा 8कग देखें)

(दिवंगत संसद सदस्य / पूर्व संसद सदस्य* के जीवनसाथी/आश्रित द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)

प्रेषक

श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ. ....
....
....

सेवा में

महासचिव,
लोक सभा/राज्य सभा,
संसद भवन,
नई दिल्ली।

विषय: संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन कुटुंब पेंशन की स्वीकृति।

महोदय,

निवेदन है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ... (मृतक सांसद/पूर्व सांसद का नाम) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनंतिम संसद/लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य थे:

क्र.सं.	सदस्यता की अवधि	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	राज्य	से	तक
(i)	अनंतिम संसद				
(ii)	राज्य सभा सदस्य				
(iii)	लोक सभा सदस्य				

2. जहां दिवंगत सांसद/पूर्व संसद सदस्य अंतिम बार किसके सदस्य थे?
.....................................(अनंतिम संसद/लोक सभा/ राज्य सभा)
*अनंतिम संसद के पूर्व संसद सदस्य सहित

3. श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ... (दिवंगत सांसद/पूर्व संसद सदस्य का नाम) का दिनांक   को निधन हो गया था (सांसद/पूर्व संसद सदस्य के निधन दिनांक)

4. मृतक सांसद/पूर्व सांसद के जीवित विधवा/विधुर और बच्चों और आश्रितों का विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम	मृतक संसद सदस्य/पूर्व सांसद के साथ संबंध	ईस्वी सन् द्वारा जन्म तिथि
(i)			
(ii)			
(iii)			

(iv)			
(v)			
(vi)			

5. श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ. दिवंगत सांसद/पूर्व संसद सदस्य मेरे .... (कृपया मृतक सांसद/पूर्व सांसद के साथ संबंध का उल्लेख करें और विवाह प्रमाण पत्र या सीजीएचएस कार्ड या मतदाता पहचान पत्र की एक प्रति और/या मृत सांसद/पूर्व सांसद के साथ संबंध के संबंध में जिला अधिकारियों से रिपोर्ट संलग्न करें। यदि कुटुंब के सदस्यों/आश्रितों के विवरण में कोई भिन्नता है तो सदस्य/पूर्व सदस्य के आश्रित रिपोर्ट संलग्न करें।

श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ. ....का एकमात्र और कानूनी जीवनसाथी/उत्तराधिकारी होने के नाते उनके दुखद निधन के कारण, मैं संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन की धारा 8एसी के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार हूं (जैसा कि 15.9.2006 को संशोधित किया गया)।

6. आश्रित के अवयस्क होने की दशा में
   (ए) अभिभावक का नामः ....
   (बी) अभिभावक की जन्म तिथिः ....
   (सी) दिवंगत सांसद/पूर्व सांसद के साथ संबंधः...................................
   (उचित न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाणपत्र और क्षतिपूर्ति बांड संलग्न करें।

7. यदि आवेदक विधवा/विधुर है तो पति/पत्नी की मृत्यु की तिथि से प्रदत्त सेवा पेंशन की राशि।

8. आवेदक का स्थायी पता ....
   (निवास का प्रमाण संलग्न करें)

9. संपर्क के लिए पता ....
   (राज्य और पिन कोड सहित)

10. अनुरोध है कि कृपया मुझे पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के लिए कदम उठाने की कृपा करें। मैं अपनी पेंशन ....से आहरित करना चाहता हूँ। .... बैंक (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम और पता)। मेरा बैंक खाता संख्या .... बीएसआर कोड ....आईएफएससी कोड .... है।

11. मैं एतद्वारा *घोषणा करता हूँ कि

   (i) मैं मृतक संसद सदस्य/पूर्व संसद सदस्य का एकमात्र और कानूनी जीवनसाथी हूं। इस आशय का एक हलफनामा और मृतक सांसद/पूर्व सांसद के साथ विवाह का प्रमाण संलग्न है।
   (ii) श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ.. का जीवनसाथी जीवित नहीं है और मैं मृतक सांसद/पूर्व सांसद का पूर्ण/आंशिक रूप से आश्रित हूं।
   (iii) मैं न तो वर्तमान संसद सदस्य हूं और न ही पूर्व संसद सदस्य के रूप में पेंशन प्राप्त कर रहा हूं।
   (iv) मैं संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के अधीन न तो आहरण कर रहा हूं और न ही कोई अन्य पेंशन लेने का हकदार हूं।

---

* जो लागू न हो उसे काट दें।

12. मैं एतद्वारा निम्नलिखित दस्तावेज अग्रेषित कर रहा हूंः-

   (i) नगरपालिका प्राधिकरण या क्षेत्र की स्थानीय पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र;

(ii) मृतक सांसद/पूर्व सांसद के साथ संबंध का प्रमाण और सांसद/पूर्व सांसद पर निर्भरता के कारणों को दर्शाने वाला हलफनामा; विवाह प्रमाण पत्र और यदि उपलब्ध नहीं है, तो प्रथम/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र; और लोक सभा सचिवालय द्वारा जारी पूर्व-सांसद पहचान पत्र (मूल रूप में) (हलफनामा, मूल पहचान पत्र खो जाने/गुम होने की स्थिति में)।

(iii) चार नमूना हस्ताक्षर; (प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य द्वारा विधिवत सत्यापित आवेदन पत्र के साथ संलग्न शीट पर प्रस्तुत किया जाना है।)

(iv) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य द्वारा विधिवत सत्यापित निवास का प्रमाण (राशन कार्ड/चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/नवीनतम बिजली बिल/टेलीफोन बिल);

(v) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य द्वारा सत्यापित आवेदक के पासपोर्ट आकार के फोटो की चार प्रतियां;

(vi) आवेदक के बाएं या दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान वाली दो पर्चियां प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य द्वारा सत्यापित;

(vii) आवेदक का विवरणात्मक रोल, विधिवत सत्यापित, (ए) ऊंचाई और (बी) व्यक्तिगत अंक, यदि कोई हो, हाथ, चेहरे, आदि पर इंगित करता है। (डुप्लिकेट में) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य द्वारा सत्यापित;
(कुछ विशिष्ट चिह्न निर्दिष्ट करें, दो से कम नहीं)

(viii) यदि आश्रित है तो वेतन, भत्ते और संसद अधिनियम, 1954 की धारा 2 के खंड (एए) के अर्थ के भीतर निर्भरता दिखाने के लिए एक हलफनामा* प्रस्तुत किया जाना है और लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए पूर्व सांसद का पहचान पत्र (मूल पहचान पत्र खो जाने/गुम हो जाने की स्थिति में हलफनामा)

(ix) अवयस्क आवेदक के मामले में उम्र का प्रमाण पत्र (नगरपालिका प्राधिकरण या क्षेत्र की स्थानीय पंचायत द्वारा या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रमुख से जारी मूल रूप से यदि बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है तो दो सत्यापित प्रतियों के साथ)

(x) उचित न्यायालय द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाणपत्र (अवयस्क आवेदक के मामले में)

(xi) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित क्षतिपूर्ति बांड।
(पेंशन की गणना के बाद प्रस्तुत किया जाना है)।

* (प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें विफल रहने पर पारिवारिक पेंशन जारी नहीं की जाएगी या बंद कर दी जाएगी।)

पत्नी या पति/आश्रित के हस्ताक्षर या बाएं हाथ/
दाएं हाथ के अंगूठे का निशान
संपर्क................................. (दूरभाष)
स्थान...
.... मोबाइल

दिनांक:.. ईमेल आईडी............................

लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय में उपयोग के लिए

<u>एमएसए शाखा, लोक सभा सचिवालय</u>
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय

अवर सचिव (टेबल ऑफिस), लोक सभा सचिवालय/अवर सचिव (टेबल ऑफिस), राज्य सभा सचिवालय, को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया।

अवर सचिव

टेबल ऑफिस, लोक सभा सचिवालय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ.. निम्नलिखित अवधि के दौरान लोक सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया:

......................से......................तक
......................से......................तक
......................से......................तक
......................से......................तक

अवर सचिव, लोक सभा सचिवालय

टेबल ऑफिस, राज्य सभा सचिवालय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ.. निम्नलिखित अवधि के दौरान राज्य सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया:

......................से......................तक
......................से......................तक
......................से......................तक
......................से......................तक

अवर सचिव, राज्य सभा सचिवालय

<u>एमएसए शाखा, लोक सभा सचिवालय</u>
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय

एमएसए शाखा, लोक सभा सचिवालय
एमएसए शाखा, राज्य सभा सचिवालय

पी.एफ. सं.............................. तारीख....................

श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ... .... इस तिथि से .... पेंशन ....(रुपये.. .... केवल) प्रति माह के लिए स्वीकृत है।

आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी, लोक सभा/राज्य सभा को अग्रेषित किया गया।

हस्ताक्षर..
स्वीकृति प्राधिकरण ....
पद ....

नमूना हस्ताक्षर

(1) नाम................................ पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोक सभा

हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

____
अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(2) नाम................................ पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोक सभा

हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

____
अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(3) नाम................................ पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोक सभा

हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

____
अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

(4) नाम................................ पूर्व सांसद, राज्य सभा/लोक सभा

हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

____

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम और मुद्रा

दाहिने हाथ की उंगलियों के निशान

श्रीमती/श्री/कुमारी/डॉ...

पति/पत्नी स्वर्गीय श्री/श्रीमती/डॉ...

(दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य का नाम)

पहली/तर्जनी उंगली	मध्यमा उंगली	अनामिका उंगली	कनिष्ठा उंगली	अंगूठा

द्वारा अनुप्रमाणित...

अनुप्रमाणन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

पहचान विवरण

श्रीमती/श्री/कुमारी डॉ...
(आवेदक का नाम)

पति/पत्नी स्वर्गीय श्री/श्रीमती/डॉ...
(दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य का नाम)

ऊंचाई:.. इंच/से.मी.

व्यक्तिगत पहचान चिह्न, यदि कोई हो: (1)..............................
(2)..............................

द्वारा अनुप्रमाणित..

अनुप्रमाणन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

शपथ पत्र

मैं, श्रीमती/श्री/कुमारी/डॉ. .... (आवेदक का नाम) उत्तराधिकारी स्वर्गीय श्री/श्रीमती/डा. .... (मृतक पूर्व सांसद का नाम) का आश्रित, ...(आवेदक का पता) का निवासी सत्यनिष्ठा से निम्नानुसार पुष्टि करते हैं:-

(1) कि मैं स्वर्गीय श्री/श्रीमती/डॉ. ....(मृतक सांसद/पूर्व सांसद का नाम) का एकमात्र कानूनी जीवनसाथी हूं;
(2) कि मैंने अपने पति स्वर्गीय श्री/श्रीमती/डॉ. ....(मृतक सांसद/पूर्व सांसद का नाम) के निधन के बाद पुनर्विवाह नहीं किया है;
(3) कि मैं संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के तहत न तो कोई अन्य पेंशन प्राप्त कर रहा/रही हूं और न ही पाने का हकदार हूं;
(4) कि मैं पूरी तरह से स्वर्गीय श्री/श्रीमती/डॉ. .... (मृतक पूर्व सांसद का नाम) पर निर्भर था/थी;
(5) कि मेरे पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। (और, यदि आवेदक के पास आय का कोई अन्य स्रोत है, तो कृपया हलफनामे में उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें);
(6) मैं लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को स्वर्गीय श्री/श्रीमती/डॉ. .... के प्रति सभी बकाया, यदि कोई हो, की वसूली मुझे दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन से .... के लिए अधिकृत करता/करती हूं। (मृतक सांसद/पूर्व सांसद का नाम)।

(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)
ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

द्वारा पहचाना गया:
(नोटरी का नाम और मुहर) अभिसाक्षी

[फा.सं. LAFEAS-MSA029/109/2020-O/o Dir (SC)]
य.मो. काण्डपाल, संयुक्त सचिव